प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 3 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 10 – 17 जनवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

क्या धर्म संसदों को सरकार का समर्थन हासिल है तंत्र की चुप्पी से उठे सवाल

- ऊना की प्रस्तावित संसद पर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को पत्र
- राजनीतिक दलों की चुप्पी सवालों में
- पूर्व सेना अधिकारियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

शिमला/शैल। दिसंबर में हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसदों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्योंकि इनको संबोधित करने वाले कथित धर्म गुरुओं ने बड़े खुले शब्दों में देश के हिंदुओं से मुसलमानों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का आहवान किया है। इन धर्मगुरुओं और संतों ने हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा बताकर यह संघर्ष करने को कहा है। इनके ब्यानों से निश्चित रूप से देश का सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन एक समुदाय के प्रति इतने नफरती ब्यानों का सरकार द्वारा कोई संज्ञान न लेना और भी गंभीर हो जाता है। सरकार द्वारा इस पर खामोशी बनाये रखने से आहत होकर कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से इसका संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बारह जनवरी को पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व जज अन्जना प्रकाश ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसके बाद सेवानिवृत्त मेजर जनरल प्रियदर्शी और दो पूर्व सेना अधिकारियों ने भी इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनके अतिरिक्त 76 वरिष्ठ अधिवक्ताओं और पांच पूर्व सेना प्रमुखों ने भी इस पर चिंता जताते हुये प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखे हैं। इस सक्रियता के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ लोगों ने इन गिरफ्तारीयों का विरोध भी किया है। और इस विरोध में मध्यप्रदेश के एक मंत्री भी शामिल रहे हैं।

यही नहीं इस सब के बाद भी यह लोग देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही धर्म संसदे आयोजित करने जा रहे हैं। हिमाचल के ऊना में भी 4 से 6 मार्च को एक धर्म संसद आयोजित की जा रही है। जिसमें 100 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु भाग लेंगे। यह जानकारी शिमला के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके पंचदशनाम अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानन्द गिरी और उनके शिष्य यति सत्यदेवानन्द सरस्वती ने दी है। इसके साथ इस अवसर पर प्रदेश के कई हिंदू संगठनों के नेता भी मौजूद थे। इन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदुओं का जनसंख्या अनुपात लगातार कम होता जा रहा है और मुसलमानों का बढ़ रहा है। आने वाले 20 वर्षो में हिंदू और भी खतरे में आ जायेंगे। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जायेगा। इसलिए अपना जनसंख्या अनुपात बढ़ाने के लिए हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिये और इस खतरे के खिलाफ अभी से संघर्ष करना होगा। जिस तरह की ब्यानबाजी इस पत्रकार सम्मेलन में हुई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रस्तावित धर्म संसद में भी वही सब कुछ दोहराया जायेगा जो कुछ हरिद्वार और दिल्ली की संसदों में हुआ है। लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन की चुप्पी भी उसी तरह की है जैसी कि हरिद्वार और दिल्ली में रही है। जबकि इस

प्रस्तावित संसद को लेकर उसी पत्रकार कुर्बान अली जिसने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊना जिला प्रशासन को इसमें उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ।

सरकार की भूमिका

भारत एक बहु धर्मी, बहुभाषी और बहु जातीय देश है और इसी बहु विवधता के कारण संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। लेकिन 2014 के बाद आयी सरकार में इस धर्मनिरपेक्षता पर यदा-कदा जिस तरह से सवाल उठने शुरू हुये थे वह अब धर्म संसदों तक पहुंच गये हैं। इन संसदों में मुस्लिम समाज से हिंदुओं को खतरा बताकर इनके खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आमंत्रण देना और सरकार का इस पर चुप रहना यह संकेत करता है कि यह सब प्रायोजित तो नहीं है? इसको सरकार का सरंक्षण तो प्राप्त नहीं है? यह आशंकाएं इसलिए उठ खड़ी होती है क्योंकि 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में संविधान को लेकर एक प्रस्ताव आया था जिसमें त्रिस्तरीय संसद की परिकल्पना रखी गई थी। जिसमें साधुओं-संतों को पहले स्तर पर रखा गया है। इस प्रस्ताव पर सबसे पहले भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्रन्टलाइन में एक विस्तृत लेख लिखकर सवाल उठाये थे। अब सरकार बनने के बाद मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस आर सेन ने अपने एक फैसले में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के निर्देश 2018 में दिये। इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गये और जस्टिस गोगोई की पीठ ने इस पर नोटिस भी जारी किये लेकिन अन्त में कुछ नहीं हुआ और अब मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर और जस्टिस एच एस थानक्यू की पीठ ने इस फैसले को पलट दिया है। लेकिन इसी फैसले के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आंदोलन उठा। इसी आंदोलन में पहली बार कपिल मिश्रा जैसे नेता के नफरती ब्यान सामने आये। जब इन ब्यानों को लेकर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा और अदालत ने पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिये तब पुलिस ने अदालत में यह कहा कि उसे ऐसे ब्यानों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तब अदालत ने मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर ने कोर्ट में कपिल मिश्रा के ब्यान की टेप पुलिस को सुना दी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 3 माह में निपटाने के निर्देश उच्च न्यायालय को दिये हैं।

इसी बीच संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के नाम से भारत का नया संविधान वायरल हुआ जोकि मनुस्मृति पर आधारित है। इसमें महिलाओं को शूद्र की संज्ञा देते हुये उन्हें शिक्षा और रोजगार के अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस कथित संविधान का प्रारूप वायरल होने के बाद भी इस पर न तो सरकार और न ही संघ की ओर से कोई खंडन आया है। अब जब धर्म संसदों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है तब कालांतर में उसका प्रभाव सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस तक पड़ेगा। यह चिंता पांच पूर्व सेना प्रमुखों ने एक पत्र लिखकर व्यक्त की है। सेनानिवृत्त मेजर जनरल प्रियदर्शी चौधरी ने अपनी याचिका में इसी आशंका पर विस्तार से बात की है। इसी दौरान तबलीगी जमात को कोरोना बम्ब कहा गया और सुदर्शन टीवी ने मुसलमानों के सिविल सर्विस में जाने के खिलाफ मुहिम छेड़ी। लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया तक नहीं दी। केवल सर्वोच्च न्यायालय ने ही संज्ञान लिया। इस परिदृश्य में आज इन सवालों पर विधिवत रूप से चर्चा की आवश्यकता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पेशल सलाहकार अदमादिंग इस विषय पर यह कहकर चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं कि गैस चैम्बर एक दिन में ही नहीं बन गये थे। उसकी शुरुआत भी नफरती ब्यानों से ही हुई थी।

राज्यपाल ने कनिष्ठ और युवा रेडक्रॉस गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेड क्रॉस के माध्यम से आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस को लोगों की सहभागिता से एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल जो कि राज्य रेड क्रॉस के अध्यक्ष भी हैं, राजभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को उपचार और थेरेपी की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों का आयुर्वेद के प्रति रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से राज्यों में कोविड रोगियों को अलग से आयुर्वेद चिकित्सा अस्पताल स्तर पर उपलब्ध करवाई गई और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि हम एक नई पहल करते हुए इसे आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के साथ जोड़ सकते हैं और जिला स्तर पर आयुर्वेद शिविरों का आयोजन कर सकते हैं।

आर्लेकर ने कहा कि जिला रेड क्रॉस की शाखाएं इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करें जिसमें कि आगामी 5 से 6 वर्षों की गतिविधियों का ब्यौरा हो ताकि यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाए और रेड क्रॉस के साथ भविष्य में काम करने वाले अधिकारियों के लिए भी प्रेरक हो। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर रेड क्रॉस के माध्यम से बेहतर कार्य हो रहा है मगर हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ना होगा और उन्हें रेड क्रॉस की विभिन्न गतिविधियों में योगदान के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों में लगभग प्रत्येक क्षेत्र कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। रेड क्रॉस की गतिविधियां भी इस कारण उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई, फिर भी कुछ जिलों में बेहतर कार्य के उदाहरण अन्यों के लिए अनुकरणीय हैं।

उन्होंने कहा कि रेडक्रास से जुड़े प्रत्येक सदस्य को यह समझने की आवश्यकता है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उनके कार्य की उत्कृष्टता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि जिला रेडक्रॉस शाखा के अध्यक्ष जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और उन्हें स्थिति की वास्तविकता और कठिनाइयों का बेहतर ज्ञान होता है। ऐसे में उन्हें इस अभियान को सही दिशा में आगे ले जाना होगा।

राज्यपाल ने कनिष्ठ और युवा रेड क्रॉस गतिविधियों को स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके तहत पूरे राज्य के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण भी युवा और कनिष्ठ रेड क्रॉस गतिविधियों में शामिल किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को लिखित में अपने सुझाव प्रेषित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में वर्ष 2022-23 में वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने, स्कूलों और महाविद्यालयों में नशा निवारण शिविरों के आयोजन और कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वैरीएंट के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने का निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने जिला रेड क्रॉस शाखा कुल्लू, सोलन और सिरमौर को उनके बेहतरीन कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग, सोलन की उपायुक्त ऋतिका कुल्हारी और सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने यह सम्मान प्राप्त किया।

इससे पूर्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने रेडक्रॉस गतिविधियों के विस्तारीकरण पर बल दिया और कहा कि रेडक्रॉस ने पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा से सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबन्धन तथा जागरूकता कार्यक्रम लोगों के लिए हमेशा लाभदायक रहे हैं और राज्य सरकार तथा रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में इस दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं।

भारतीय रेडक्रॉस की राष्ट्रीय प्रबन्धन इकाई की सदस्या एवं अस्पताल कल्याण समिति की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर ने बैठक की समीक्षा के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल कल्याण समिति को जिला स्तर पर सुदृढ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगामी वित्त वर्ष में रेडक्रॉस के माध्यम से बालिकाओं के लिए किशोरी स्वास्थ्य सेवा संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। उन्होंने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिविर आयोजित करने तथा उप-मण्डल स्तर पर रेडक्रॉस मेलों का आयोजन करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मकर-सक्रांति के पावन अवसर पर शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में शीश नवाया और पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने यज्ञ में भी भाग लिया और प्रदेशवासियों की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजभवन में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने कहा कि आज का दिवस हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, परम्पराओं और विचारों को बहुत युवा अवस्था में देश-विदेश में प्रचारित किया और यह हम सब के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जब भी देश से बाहर गए, वे अपनी संस्कृति और विचारों को साथ लेकर गए। स्वामी जी के आदर्शों को अपनाते हुए हम देश को आगे ले जा सकते हैं।

आर्लेकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी को देश में समरसता बनाए रखने का संदेश दिया और इसे आगे ले जाने हम सभी का दायित्व है। हम सभी को उनके विचारों और शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया और राजभवन सचिवालय के अन्य कर्मचारी गण भी उपस्थित थे।

हिमाचल को भूस्खलन आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए समग्र समाधान प्रस्तुत करें:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे भूस्खलन और इसके प्रभावों को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश में बार-बार होने वाले भूस्खलन के कारण जान माल के नुकसान के बारे में चिन्ता व्यक्त की और इस नुकसान को कम करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से सम्बन्धित समाधानों का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेषज्ञों और अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश को भूस्खलन आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक समय सीमा के अन्दर समग्र समाधान प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हमें भूस्खलन के खतरों के अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और क्षेत्र का पता लगाने के पश्चात जोखिम का आंकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य बल को भू-वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग मापदण्डों पर काम करना चाहिए।

राज्यपाल ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किन्नौर को पायलट जिला के रूप में चयनित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया ने बैठक का संचालन किया।

निदेशक आपदा प्रबन्धन सुदेश कुमार मोक्टा ने विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन और अनुसंधान के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों और पहलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों से भली-भान्ति परिचित है और प्रदेश सरकार ने भारत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान किए हैं।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकता के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. एस. राजु, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र नई दिल्ली के सलाहकार एवं निदेशक डा. ओ.पी. मिश्रा, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए.के.महाजन, हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून के लैंड स्लाइड हेजर्ड ग्रुप के वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. विक्रम गुप्ता, राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डा. हिमान्शु मित्तल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भूस्खलन से सम्बिंन्धत अपने विचार व्यक्त किए।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने मकर सक्रांति पर शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मकर सक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

अपने शुभकामना सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि यह त्यौहार सर्दियों के अन्त और फसल कटाई के मौसम का द्योतक है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मकर सक्रांति पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस त्यौहार का ऋतु के अनुसार और धार्मिक महत्व भी है। इस दिवस को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और वर्ष का यह अति शुभ दिन माना गया है। इस दिवस से उत्तरायण का प्रारम्भ भी माना गया है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लायेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल शिमला में राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर रिज मैदान, शिमला में 26 जनवरी, 2022 को राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सोलन, जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर बिलासपुर में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी कुल्लू, तकनीकी शिक्षा मन्त्री डॉ. राम लाल मारकण्डा लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग, ग्रामीण विकास मन्त्री वीरेन्द्र कंवर चम्बा, उद्योग मन्त्री बिक्रम सिंह हमीरपुर, शिक्षा मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ऊना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री डॉ. राजीव सैजल जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन, बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला, वन मन्त्री राकेश पठानिया जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग मंडी में जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में चम्बा में उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कोविड–19 की समीक्षा पर आयोजित प्रधानमंत्री की वीडियो कान्फ्रेंस में भाग लिया

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप–राज्यपालों एवं प्रशासकों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान देश में कोविड–19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकांश राज्यों में संक्रमण के मामलों में हुई वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने इस महामारी से घबराने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी की रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और वायरस की जितनी अधिक जॉच करने में हम सफल होंगे, यह सभी के लिए उतनी ही राहत की बात होगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक का संचालन किया।

भारत सरकार में सचिव स्वास्थ्य राजेश भूषण ने देश में कोविड की अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुति भी दी।

इस वीडियो कान्फ्रेंस के उपरान्त राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गृह संगरोध के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अधिकांश संक्रमित लोग गृह संगरोध में हैं। उन्होंने रोगियों के घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल उपचार की सुविधा प्रदान की जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोविड–19 संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि चिन्ता का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी विपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,500 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है, जिसे 17000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 2374 ऑक्सीजनयुक्त समर्पित बिस्तर, 8765 कोविड समर्पित बिस्तर, 237 आईसीयू बिस्तर और 1014 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 59.37 एमटी ऑक्सीजन क्षमता के 48 पीएसए संयंत्र, 2100 ए–टाइप सिलेंडर, 5009 बी–टाइप सिलेंडर, 1112 डी–टाइप सिलेंडर और 5723 कंसन्ट्रेटर्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पीसीएम 650, पीसीएम 500, रेमडेसिविर, डेक्सामिथाजॉन, हाइड्रो कॉर्टिसन इत्यादि आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उपभोगीय पीपीई किट्स और एन–95 मास्क का भी पर्याप्त भण्डारण प्रदेश में किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को शतप्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है और प्रदेश सरकार ने अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंट लाइन वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों को शतप्रतिशत एहतियातन खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड–19 के दृष्टिगत जॉच, ट्रैकिंग और उपचार के साथ ही टीकाकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

संजौली–ढली बाईपास पर 18 करोड़ रुपये की लागत से बने हेलीपोर्ट का लोकार्पण

शिमला/शैल। मीडिया से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के अंतर्गत 12.13 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार की उड़ान–2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा इस हेलीपोर्ट से न केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी बल्कि आईजीएमसी के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस तीन मंजिला हेलीपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जैसे रिसेप्शन काउंटर, हेलीपोर्ट प्रबंधक कार्यालय, टिकट काउंटर और वीआईपी लाउंज आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट में यात्रियों के आगमन के लिए पोराटा केबिन की सुविधा, 50 वाहनों के लिए पार्किंग, हेलीकॉप्टर के लिए डेक और सेफ्टी नेट भी हैं।

उन्होंने कहा कि यह हेलीपोर्ट 10.3 बीघा भूमि के क्षेत्र में फैला है तथा भिति चित्रों द्वारा इसका सौन्दर्यीकरण किया गया है। यह हेलीपोर्ट सीसीटीवी/निगरानी तंत्र से पूर्ण रूप से युक्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान–2 योजना के तहत बद्दी, रामपुर तथा मंडी में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केन्द्रीय पयर्टन तथा नागरिक उडड्यन मंत्रलय को रिकांगपिओ, चम्बा, डलहौजी, जंजैहली, ज्वालाजी आदि में नए हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजेगी जिससे इन क्षेत्रों में पयर्टन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मुख्य पयर्टन गंतव्यों से जुड़े राष्ट्रीय उच्च मार्गो की फोर लेनिंग के साथ–साथ हवाई यातायात सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 64 हेलीपेड हैं तथा प्रदेश सरकार द्वारा 38 नए हेलीपेड का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीपोर्ट तथा हेलीपेड निकट भविष्य में पयर्टन, कनेक्टिविटी तथा आपातकालीन परिपेक्ष्य से लाभकारी सि होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राहत एवं बचाव कार्यो के दौरान तथा आपातकालीन स्थिति में रोगियों को बड़े अस्पतालों में ले जाने में भी सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वरदान सिद्ध होंगे।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा, भाजपा नेता डॉ. प्रमोद शर्मा, विजय ज्योति सेन, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रशिम धर सूद, प्रधान सचिव पर्यटन सुभाशीष पांडा, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोनिका भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने काजा में नौवीं राष्ट्रीय महिला आईस हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला लाहौल–स्पीति स्थित आईस स्केटिंग रिंक काजा में नौवीं राष्ट्रीय महिला आईस हॉकी चैंपियनशिप–2022 का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आईस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईस हॉकी विश्व के सबसे लोकप्रिय शीतकालीन खेलों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवा पीढ़ी में आईस हॉकी को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ क्षेत्र के पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर और अन्य हिमालयी राज्यों में यह खेल काफी प्रचलित है। उन्होंने कहा कि इस खेल के माध्यम से क्षेत्र के पर्यटन के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मेगा आयोजन में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आइटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भाग ले रही हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने स्वर्ण जंयती खेल नीति–2021 को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा और खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि को दुगुना किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के तहत ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक या पैरा–ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने पर तीन करोड़ रूपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को दो करोड़ रूपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को एक करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रूपए दिए जाएंगे और ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड धारकों को मासिक वेतन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लद्दाख वीमेन आईस हॉकी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने वर्ष–2019 में काजा में बेसिक आईस हॉकी का पहला दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था। उन्होंने कहा कि स्पीति के अलावा मंडी और किन्नौर के बच्चें आईस हॉकी की बारीकियां सीखने आए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से काजा में हाई एल्टीटयूड स्पोर्टस सेन्टर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 27 लाख रुपये व्यय करके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्केट बूट उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रशासन द्वारा लिडांग, सगनाम, लोसर, ताबो और हिक्कमी में छोटे स्तर पर आईस रिंग तैयार किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी एच्छिक निधि से 31 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने काजा में जन शिकायतें भी सुनी।

इस प्रतियोगिता का पहला मैच दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मध्य खेला गया जिसमें दिल्ली ने चार–शून्य से जीत हासिल की। दूसरे मैच में चंडीगढ़ ने तेलंगाना को एक–शून्य से हराया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ राम लाल मारकंडा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षो के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय बजट में पर्याप्त प्रावधान क्षेत्र के बुनियादी विकास पर विशेष दिया जा रहा है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश आईस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में गौ सदन का उद्घाटन किया। इस गौ सदन का निर्माण 2.22 करोड रुपये की लागत से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों को आश्रय देने और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रदेश में 36,311 बेसहारा पशु हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारण्य एवं गौ सदनों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 31.16 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का प्रथम निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना और गौ सेवा आयोग का गठन तथा प्रदेश के विभिन्न भागों में गौ अभ्यारणों का निर्माण करना था ताकि परितयक्त पशुओं को आश्रय प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ अभ्यारण्यों और गौ सदनों को चलाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए शराब पर एक रुपये प्रति बोतल सैस भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गौ सदनों में, विशेषकर सर्दियों में, गायों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार गौ वंश योजना के तहत राज्य में गौ सदनों को प्रत्येक गाय प्रतिमाह 500 रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों से गौ अभ्यारण्य और गौ सदनों में योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 220 गौ सदनों का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है, जिनमें से 127 गौ सदन हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक निजी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सरकार की सहायता के बिना कंपनी पीपीपी मोड पर प्रति गौ अभ्यारण्य लगभग 3000 गायों को आश्रय प्रदान करेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला के कोटला बडोग क्षेत्र में बेसहारा गायों को आश्रय देने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर एक गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में हांडा कुडी गौ अभ्यारण्य के निर्माण पर 2.97 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी के गौ सदन में 500 गायों को रखने की क्षमता है और इससे बेसहारा पशुओं के लिए उचित आश्रय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभालने के तुरंत बाद राज्य में परित्यद्र गायों को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक नाचन विनोद कुमार, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, शिमला जिला भाजपा के अध्यक्ष रवि मेहता, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, भाजपा नेता डॉ. प्रमोद शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सुन्नी में उपस्थित थे।

एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो मुझे कोई डर नहीं है जैसा मैं सोच सकता हूं वैसा जीवन मैं जी भी सकता हूँ।.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मौतों की जिम्मेदारी से भागना संभव नहीं होगा

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक नीयतन थी या संयोगवश इसकी कोई भी जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जिस तरह की राजनीतिक इस पर शुरू हो गयी है उससे कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुये हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना देश हित में नहीं होगा। क्योंकि यदि यह चूक नीयतम है तो उसके प्रायोजकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यदि संयोगवश हुई इस चूक को अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह और भी निंदनीय है। लोकतंत्र के लिये इससे बड़ा और कोई संकट नहीं हो सकता। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की ही पूर्व जज जस्टिस इन्दु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसलिए इस जांच की रिपोर्ट आने तक इस पर बहस को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। लेकिन मीडिया के कुछ हिस्सो में इस प्रकरण के बाद राजनीतिक आकलनों का दौर भी शुरू हो गया। पंजाब में इस प्रकरण के बाद भाजपा अमरेंद्र गठबंधन को लाभ और कांग्रेस को नुकसान होने की बात की गयी है वास्तव में क्या होगा यह परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।

लेकिन इस प्रकरण के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मन्त्रीयों और विधायकों ने भाजपा छोड़ना शुरू कर दी है उससे पूरा राजनीतिक परिदृश ही बदलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड में भी यही सब कुछ घटना शुरू हुआ था। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भाजपा के प्रभुत्व वाले यही दो राज्य हैं। ऐसी संभावनाएं उभरनी शुरू हो गई हैं कि 2014 में जिस तरह लोग कांग्रेस छोड़कर जाने लगे थे इस बार वैसा ही कुछ भाजपा के साथ घट सकता है। 2014 में जो राजनीतिक परिदृश्य अन्ना आंदोलन से निर्मित हुआ था आज वैसा ही कुछ किसान आंदोलन ने खड़ा कर दिया है। बल्कि इस आंदोलन में हुई सैकड़ों किसानों की मौत ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। फिर इस मुद्दे पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद जब सामने आया कि किसान मोदी के कारण नहीं मरे हैं। प्रधानमंत्री के इस संवाद का किसानों पर क्या असर पड़ा होगा यह अंदाजा लगाना किसी के लिये भी कठिननहीं है। किसानों की मौत की जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती है।

कुछ लोग किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित मानते हैं इसलिए वह किसानों की मौत के लिए मोदी और उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसलिए कृषि कानूनों से जुड़े कुछ बिंदुओं पर बात करना जरूरी हो जाता है। कृषि संविधान के मुताबिक राज्यों का विषय है। एण्ट्री 33 के तहत उत्पादन के भंडारण और वितरण पर केंद्र का भी अधिकार है। लेकिन अन्य मुद्दों पर नहीं। वैसे तो एण्ट्री 33 पर भी विवाद है। इस नाते केंद्र को इस में कानून बनाने का काम अपने हाथ में लेना ही गलत था। फिर यह कानून अध्यादेश के माध्यम से लाये गये। संसद में बाद में रखे गये और वहां बिना बहस के पारित किये गये। यदि इन्हें सामान्य स्थापित प्रक्रिया के तहत लाया जाता तो जैसे ही यह संसद की कार्यसूची में आते तो एकदम सार्वजनिक संज्ञान में आ जाते और इन पर बहस चल पड़ती। जैसा कि इस बार हुआ। कि जैसे ही बैंकिंग अधिनियम में संशोधन की चर्चा सामने आयी तभी बैंक कर्मचारी सड़कों पर आ गये और यह प्रस्तावित संशोधन वहीं पर रुक गया। इसलिए जिस तरीके से यह कृषि कानून लाये गये थे उससे सरकार की नीयत पर शक करने का पर्याप्त आधार बन जाता है।

फिर सरकार ने जमाखोरी और मूल्य बढ़ोतरी पर 1955 से चले आ रहे हैं अपने नियंत्रण के अधिकार को समाप्त करके किसको लाभ पहुंचाया। क्या यह कानून किसी भी आदमी के लिए लाभदायक कहा जा सकता है शायद नहीं। ऐसे में किसानों के पास आंदोलन के अतिरिक्त और क्या विकल्प था। यह कानून कोरोना काल में ही लाने की क्या मजबूरी थी। यह कानून लाने से पहले क्या हरियाणा सरकार द्वारा अदानी समूह को लॉकडाउन के दौरान स्टोरों के लिए भूमि नहीं दी गई थी । अब जब कानून वापिस लिये गये तो उसके बाद अदानी कैपिटल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कृषि ऋणों के लिए पार्टनर क्यों बनाया गया। अब एसबीआई के साथ मिलकर अदानी किसानों को कृषि उपकरणों और बीजों के लिए ऋण देगा। साठ ब्रांचों वाले अदानी से तेईस सौ ब्रांचों वाले एसबीआई को व्यापार में कैसे सहायता मिलेगी। क्या यह सब सरकार की नीयत पर शक करने के लिए काफी नहीं है। क्या इस परिदृश्य में किसान आंदोलन और किसानों की मौतों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आ जाती है। यह चुनाव इन्हीं सवालों के गिर्द घूमेगा यह तय है।

अफगानिस्तान व पाकिस्तानी वर्जन के इस्लाम से भारत को सावधान रहना होगा

गौतम चौधरी

देखते ही देखते लोकतांत्रिक अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बदल गया है। बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ''नाम तो बस नाम होता है, नाम में क्या रखा है'' लेकिन यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। नाम के साथ ही पूरी व्यवस्था है। यानी अब अफगानिस्तान में वह संविधान लागू है जो आज से लगभग 1500 साल पहले अरब पर शासन करने वालों ने बनाया था। अरबी कानून से भी अफगानिस्तान के आधुनिक शासक तालिबान ने वह तत्व उठाए हैं, जो पुरूषों और धार्मिक नेताओं को दैवी शक्ति प्रदान करता है।

अब्राहिमवादी सेमेटिक चिंतन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार को शून्य बताया गया है। इस चिंतन के व्याख्याकारों का मानना है कि दुनिया को बनाने वाला एक मात्र सुपर पावर गॉड, अल्लाह है। उसी ने पूरी दुनिया बनाई। वह सबसे ताकतवर है और सबका मालिक भी है। इस एकेश्वरवादी चिंतकों का मानना है कि उस महातकवर का कोई स्वरूप नहीं है। इस दुनिया को ठीक करने के लिए उसने समय-समय पर अपने बेटे और संदेशवाहकों को धरती पर भेजा। संदेशवाहकों के साथ उसने कुछ नियम कानून भी भेजे, जिसे बाद में किताब की तरह बनाया गया। वही किताब इस चिंतन के मानने वालों का कानून बन गया। महाबली परमात्मा ने जितने संदेशवाहक या अपने बेटों को धरती पर भेजा उनके अनुयायियों ने यही कहा कि बस हमारा नबी ही अंतिम था और उसने जो भी कहा वह महाबली परमात्मा की आवाज थी। परम आदरणीय अब्राहम, मूसा, इसा जैसे अनेक संदेश वाहकों के माध्यम से महाबली परमात्मा ने अपनी बात दुनिया को बताते रहे हैं। उन्हीं बातों में से एक पवित्र कुरान भी है। इस्लाम के अनुयायी इसे अल्लाह का कानून मानते हैं और उसी पर अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं।

अफगानिस्तान अब उसी पवित्र कुरान की आयतों से संचालित हो रहा है। इधर अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की सुरक्षा पर एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को यदि किसी से खतरा है तो वह भारत है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की यह कोई नई कवायद नहीं है। पाकिस्तान अपने निर्माण काल से ही यह मान कर चल रहा है कि उसका देश पवित्र मुस्लिम भूमि है और भारत हिन्दू राष्ट्र है। भारतीय मानें या न माने लेकिन पाकिस्तान के नेता और चिंतकों के द्वारा साफ-साफ खाका खींचा जा चुका है कि भारत का वर्तमान स्वरूप व अस्तित्व पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। इसलिए पाकिस्तान में जब तक यह सोच रहेगा तब तक वह भारत के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष लड़ता रहेगा। डॉ. इरार अहमद, पाकिस्तानी इस्लामिक राष्ट्रवाद के जबरदस्त व्याख्याकार रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गयी लेकिन उनके तकरीर के कई वीडियो यूटयूब पर पड़े हैं। एक जगह वे कहते हैं कि फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस्लाम के आदर्श की रक्षा करने में सफल है। यहां तक कि सउदी अरब भी नहीं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इस्लामिक दुनिया के खलीफा बदलते हरे हैं। किसी जमाने में सउदी अरब होता था, बाद में तुर्की का औटोमन खड़े हुए और अब आने वाले समय में इसके लिए अफगानिसतान के खुरासान का एक प्रभावशाली समूह उठ खड़ा होगा और इस्लामिक जगत की खिलाफत यानी नेतृत्व करेगा।

अफगानिस्तान के वर्तमान स्वरूप को गढ़ने में डॉ. इरार साहब के चिंतन की बड़ी भूमिका ध्यान में आती है। डॉ. इरार साहब पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने इस्लामिक साहित्य का अध्ययन कर दुनिया में इस्लामिक विद्वता का अपना धाक जमा रखा था। पाकिस्तान के अफगान ऑपरेशन को समझने के लिए डॉ. इरार साहब की तकरीर को ध्यान से सुनने की जरूरत है।

अब दुनिया के खालिस इस्लाम परसों का आदर्श देश कहीं है तो वह अफगानिस्तान है। उस अफगानिस्तान में क्या-क्या हो रहा है, उसे भी जानने और समझने की जरूरत है। अभी हाल ही में बीबीसी की एक रिपोर्ट आयी है। उसमें बताया गया है कि तालिबान दुनिया को कुछ भी कहे लेकिन वह बेहद चालाकी से पूरे देश में देवबंदी मदरसे के द्वारा व्याख्या किया गया सरिया कानून लागू कर रहा है। महिलाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। गैर इस्लाम पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गयी है। वे सारे काम बंद कर दिए गए हैं, जो देवबंदी मदरसे के द्वारा व्याख्यायित इस्लाम के विरूद्ध है। मसलन पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रस्तुत रिपोर्ट और उसमें हिन्दू भारत के खिलाफ संघर्ष का आहवान साथ ही अफगानिस्तान में देवबंदी फिरके के इस्लाम का शासन जिसे आदर्श इस्लामिक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है, उससे भारत के हुक्मरानों को डरने की जरूरत है। हालांकि इससे चीन, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों को भी डरना चाहिए लेकिन फिलहाल तो इसकी जद में भारत का आधुनिक लोकतंत्र ही है। हालांकि भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप को पुरातनपंथी, यूरोपीय म डल के हिन्दू राष्ट्रवाद से भी खतरा है लेकिन उसे तो ठीक किया जा सकता है लेकिन इस्लाम के नए वर्जन को ध्यान में रखकर भारत को अपनी सुरक्षा नीति विकसित करने की जरूरत है। यही नहीं भारत में बसे मुसलमानों को भी भारत के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सुरक्षा और सभी प्रकार की आजादी की ताकत हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। अफगानी व पाकिस्तानी वर्जन के इस्लाम का प्रभाव यदि भारत में बढ़ता है तो भारत की पवित्र भूमि पर अशांति के फसल लहराएंगे और तब भारत के लोग अंध युग में जीने के लिए अभिशप्त होंगे।

पेयजल आपूर्ति एवं जल विद्युत उत्पादन में अहम भूमिका निभाएगी रेणुका जी बांध परियोजना

शिमला। नदियां प्रकृति का एक महान वरदान हैं और विभिन्न सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कल – कल बहती नदियां न केवल यहां के नैसर्गिक

सौन्दर्य को चार चांद लगाती हैं बल्कि राज्य के सामाजिक – आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। प्रदेश में नदियों पर बनाए गए बांध और जलाशय राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में संबल प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में नदी जल संसाधनों के कुशल प्रबंध न के लिए विभिन्न नदी बेसिन, जो गहन सर्वेक्षण के उपरान्त तकनीकी रूप से संभव एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य पायी गई हैं, के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसम्बर, 2021 को प्रदेश में महत्वकांक्षी रेणुका जी बांध परियोजना का पड्डल मैदान, मण्डी से शिलान्यास किया। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी, गिरी पर बनाई जाएगी। इस परियोजना का बांध नदी के तल से 148 मीटर ऊॅचा होगा, जो बरसात में बह जाने वाले पानी को रोक कर उसका भण्डारण करेगा। इससे बनने वाला जलाशय 24 किलोमीटर लम्बा होगा, जिसमें 498 मिलियन घन मीटर उपयोग योग्य जल एकत्रित होगा। इस राष्ट्रीय परियोजना के 40 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत गृह से 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होगा, जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाएगा। बांध के जल की 23 घन मीटर प्रति सेकेंड की दर से राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आपूर्ति की जाएगी, जिससे दिल्ली में पेयजल की 40 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति होगी और पेयजल समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

गिरी नदी की ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए वर्ष 1942 में तत्कालीन पंजाब राज्य द्वारा अन्वेषण कार्य शुरू किया गया था। 1964 में हिमाचल सरकार ने दो परियोजनाओं पर अन्वेषण को आगे बढ़ाया। इनमें से एक परियोजना गिरी जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट का कार्य सत्तर के दशक में शुरू हो गया एवं कालांतर में पूर्ण कर लिया गया। रेणुका जी बांध परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को वर्ष 2000 में जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने 1224.64 करोड़ की सहमति दी, लेकिन कुछ कारणों से परियोजना अमल में नहीं लाई जा सकी। वर्ष 2015 में पुनः इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट को जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने 4596.76 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के लिए स्वीकार किया, लेकिन यमुना बेसिन के लाभान्वित होने वाले राज्यों में अन्तरराज्यीय समझौता न होने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

भारत सरकार के अथक प्रयासों से 9 जनवरी, 2019 को छः राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल में अन्तरराज्यीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। 9 दिसम्बर, 2019 को जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने परियोजना की रिपोर्ट को 6946.99 करोड़ रुपये के लिए सहमति दी। जिसमें जल घटक 6647.46 करोड़ रुपये है।

रेणुका जी बांध परियोजना के निर्माण में लगभग 13.14 लाख मानव दिवस का रोजगार राज्य के युवाओं के लिए सृजित किया जाएगा। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार स्थानीय युवाओं के कौशल विकास एवं उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 160,34,25,000 रुपये के कुल परिव्यय के साथ जलग्रहण क्षेत्र सुधार योजना का काम कैचमेंट के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्युत उत्पादन से अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष परियोजना प्रभावित क्षेत्र में वितरित किया जाएगा।

राष्ट्रीय परियोजना स्कीम में शामिल रेणुका जी बांध परियोजना पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति के साथ – साथ पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों के विकास में दूरगामी भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा।

सूर्य नमस्कार:विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का आसान समाधान

सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य का उदय थोड़ा उत्तर दिशा में होगा – यह अवसर देश भर में अपने साथ कई सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कृषि संबंधी संदेश लेकर आएगा। संक्रांति शब्द (संक्रमणकालीन गति, अपने अंतर्मन व बाहरी दुनिया को बेहतर बनाने की गति तथा ब्रह्मांडीय स्तर के साथ – साथ ज्योतिष राशियों में 'परिवर्तन' का प्रतीक है। यह सम्पूर्ण जगत का मंथन है और यह मंथन मानव शरीर – अंतर्मन – चेतना तथा बाहरी दुनिया, दोनों में होना चाहिए। दोनों प्रक्रियाएं साथ – साथ चलनी चाहिए। इस अवसर की सुंदरता है कि यह प्रक्रिया इस विषय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है।

आयुष मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इस अवसर का उपयोग सूर्य नमस्कार – 'सूर्य को प्रणाम' करने के योग आसन के माध्यम से मानवता तक पहुंचने के लिए किया जायेगा और इसके जरिये स्वयं को फिर से जीवंत बनाने का

एक विशेष और सामयिक संदेश भी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। सदियों से योग मानवता की सेवा करता रहा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहल की है, योग ने इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक स्वीकृति प्राप्त की है, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर, 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में, विश्व समुदाय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग का उत्सव मनाने का आग्रह किया था। उनकी अपील के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है।

दुनिया भर में कोविड – 19 संक्रमण में फिर से आयी तेजी ने इसे और अधिक प्रासंगिक बना दिया है कि हम अपने शरीर – अंतर्मन – चेतना को स्वास्थ्य पर आने वाले किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखें। हममें से अधिकांश लोगों ने सूर्य नमस्कार के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन नियमित रूप से इसका अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम होगी। योग आसनों की इस श्रृंखला का महत्व सूर्य को नमस्कार करने तक सीमित नहीं है। इसका मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब नियमित रूप से व सही तरीके से इसका अभ्यास किया जाता है, तो सूर्य नमस्कार न केवल हमारी जीवन शक्ति और प्रतिरक्षा बल में सुधार करता है, बल्कि यह तेज गति से चलने वाली और तनाव पैदा करने वाली आधुनिक दुनिया में मानसिक संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वें साल पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय ने सामूहिक प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में न सिर्फ अन्य मंत्रलयों एवं राज्य सरकारों, बल्कि वैश्विक योग समुदाय के सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया है। योग का सार्वभौमिक आकर्षण सूर्य नमस्कार में और अधिक परिलक्षित होता है। जिस प्रकार सूर्य सभी सजीव प्राणियों की जीवन शक्ति का स्रोत है, उसी तरह सूर्य नमस्कार मानवीय जीवन शक्ति की बिना दुष्प्रभाव वाली एक निश्चित खुराक है। दुनिया यह महसूस कर रही है कि कोविड – 19 के संक्रमण के दोबारा उभार से निपटने के लिए जीवन शक्ति और मजबूत आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं और इस वजह से, सूर्य नमस्कार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमने इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सभी प्रमुख योग संस्थानों एवं योग गुरुओं सहित सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल किया है। हमारा दृष्टिकोण सिर्फ एक बार के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है क्योंकि आयुष मंत्रालय कार्य संबंधी रणनीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन, दोनों के बीच तालमेल और निरंतरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्थायी प्रभाव पैदा करने में विश्वास करता है। 14 जनवरी को होने वाला योग प्रदर्शन का यह कार्यक्रम भी एक किस्म की निरंतरता का हिस्सा है और यह बात मैंने हैदराबाद में भी उस समय कही थी जब हमने हाल ही में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के आयोजन की पहल की थी।

सूर्य नमस्कार 12 चरणों में किए जाने वाले आठ आसनों का एक संयोजन है। इन आसनों की खूबी यह है कि इन्हें सभी आयु वर्ग के लोग बिना किसी कठिनाई के कर सकते हैं और इन 12 चरणों के नियमित अभ्यास से मानव शरीर की संपूर्ण प्रणाली स्वास्थ्य पर होने वाले बाहरी हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाती है। मैं यहां नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से होने वाले लाभों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वाला मेरे जैसा व्यक्ति पूरे दिन खुद को ऊर्जावान और समग्र रूप से स्वस्थ महसूस करता है। इस प्रकार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर होने वाले व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यय की काफी हद तक बचत होती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मकर संक्रांति, सूर्य और सूर्य नमस्कार जैसे ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों को हमारा सबसे अच्छा और भरोसेमंद साथी बनाने के वैश्विक समुदाय के एक नए संकल्प की शुरुआत करेगी और इस दोस्ती को आगे आने वाले दिनों में भी जारी रखने का प्रयास करेगी। यह कदम हमारी धरती के लिए कई तरह से मददगार साबित होगा।

प्रदेश के घर-घर पहुंचा नल से जल

शिमला। देश के सभी घरों तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरूआत की। हिमाचल सरकार इस मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।

प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप जल शक्ति विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में 7.93 लाख घरों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाया गया, जो पिछले 72 वर्षों में लगे 7.63 लाख नलों से अधिक है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हिमाचल में हर घर नल उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश पूरे देश में अग्रणी कार्य कर रहा है व जुलाई 2022 तक हिमाचल के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 तक रखा गया है।

जल शक्ति विभाग न केवल नल से उचित मात्रा में जल उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि जल की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। शुद्ध जल देने की दिशा में जल शक्ति विभाग द्वारा 14 जिला स्तरीय व 42 उप – मंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से 37 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर एन.ए.बी.एल. से प्रमाणिकता मिल चुकी है। इसके साथ एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है, जिसमें जल नमूनों के राष्ट्रीय ब्यूरो मानक के हिसाब से सभी भौतिक रसायनिक व जीवाणु परीक्षण किए जाएंगे, जो शुद्ध जल की दिशा में

एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्य शीलता में पूरे देश में हिमाचल को प्रथम आंका गया है। पिछले दो वर्षों में 3,71,080 जल नमूनों का परीक्षण किया गया। राज्य सरकार के स्वर्णिम जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में जल शक्ति विभाग जल गुणवत्ता व संरक्षण थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जल नमूनों के परीक्षण को और अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के जून व अक्तूबर माह में एक अभियान चलाया गया, जिसमें केवल इन दो महीनों में कुल 64,701 जल नमूनों के परीक्षण प्रयोगशालाओं में व 54,394 जल नमूनों का परीक्षण फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से किए गए। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में जल शक्ति विभाग द्वारा दिसम्बर माह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक और जन अभियान शुद्ध जल अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रयोगशालाओं व फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अधिकाधिक जल नमूनों के परीक्षण किए जाएंगें। इन अभियानों का आयोजन जनमानस को शुद्ध जल देने व उन्हें जल गुणवत्ता पर जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन जिला लाहौल – स्पीति के टाशीगंग गांव को नल से जल सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आबंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के अन्तर्गत 12,638 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में दो वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपये का निःशुल्क उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के अन्तर्गत 5.13 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 2.20 लाख परिवारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 4.69 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने पर 141.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 8.23 लाख घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई है और इस वर्ष के मध्य तक सभी घरों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व सरकार के कार्यकाल में नाबार्ड के माध्यम से 3200.34 करोड़ रुपये की कुल 779 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार के पहले चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 3,347.20 करोड़ रुपये लागत की 825 विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 2363.80 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पहले चार वर्षों के लिए ही 3183.37 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नाबार्ड के अन्तर्गत सभी डी.पी.आर. में 1 अप्रैल, 2021 से मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विधायक प्राथमिक योजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अब तक 965.41 करोड़ रुपये की 186 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर 965.41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से सड़कों और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए 465.05 करोड़ रुपये और सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए 500.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) के लिए 18,500 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक योजना परिव्यय का प्रावधान रखा था और इसकी तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहले चार वर्षों 2018-19 से 2021-22 के लिए 34,474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन देश और प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अन्तर्गत जुलाई, 2022 तक प्रदेश के हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चन्द ध्वाला ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अपने विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों का भी जवाब दिया।

जिला सोलन

अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने कोल बांध जलाशय में जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने दाड़लाघाट और बागा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

विधायक नालागढ़ लखविन्दर राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अर्न्तगत अधिक निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक सड़कों को इस योजना के तहत लाया जा सके। उन्होंने विशेषकर सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंनें कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों में 80 प्रतिशत रोजगार की शर्त का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मण्डल को पाईपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) और खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चण्डी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया।

सोलन से विधायक कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकनाघाट में सब्जी मण्डी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया।

जिला बिलासपुर

विधायक झंडूता जीत राम कटवाल ने मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में 56 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस योजना का लोकार्पण आगामी महीनों में किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तलाई में जल शक्ति उपमण्डल खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झील में जलक्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जानी चाहिए।

विधायक बिलासपुर सदर सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिलासपुर बस स्टैंड के स्तरोन्नयन का भी आग्रह किया। उन्होंने विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जुमार्ग बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वैरियम स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

नैना देवी जी से विधायक राम लाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामीघाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अली खड्ड के तटीयकरण और उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

जिला मंडी

करसोग के विधायक हीरा लाल ने पिछले चार वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एफ.सी.ए. की शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता भी जताई ताकि इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए करसोग अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।

सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से सुन्दरनगर में फूड क्राट संस्थान खोलने और सुन्दरनगर के सुकेत कैफे के सुदृढ़ीकरण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निहरी चरखड़ी सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुन्दरनगर बस अड्डे पर इन्टरलॉक टाइलें उपलब्ध करवाने, सुन्दरनगर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक (रेडियालॉजिस्ट) की सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा डैहर में 33 केवी का उप-केंद्र स्थापित करवाने का भी आग्रह किया।

नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान नाचन क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्र में एक पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाना चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए चौल चौक में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलौट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई और अटल आदर्श विद्यालय खोलें जाएं। उन्होंने कहा कि नगवाई और बरोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सभी पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनें लगाई जाए। उन्होंने ज्वालापुर में जल शक्ति विभाग की निरीक्षण कुटीर स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने किसानों को कट स्टोन के खनन की अनुमति देने का सुझाव दिया क्योंकि इससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

जोगिन्द्रनगर से विधायक प्रकाश राणा ने चौतड़ा में जल शक्ति मंडल और लडभड़ोल में आईटीआई की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी लडभड़ोल को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अन्तिम चरण में हैं, उनका कार्य पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी आग्रह किया।

मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और महाविद्यालय के भवन का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बाईपास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी जिले के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भी आग्रह किया।

बल्ह से विधायक इंद्र सिंह गांधी ने इस अवधि के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल्ह में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सुकेती खड्ड के तटीयकरण का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बल्ह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

सरकाघाट से विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा के जीर्णोद्धार के लिए निधि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पुरानी मशीनों को बदलने का आग्रह किया ताकि नई मशीनें खरीदी जा सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पश्चात अब तक विभिन्न विभागों द्वारा 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को प्रेषित की गई है।

योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, आर.डी. धीमान और जे.सी. शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, आर.डी. नज़ीम और भरत खेड़ा, सचिव डॉ. अजय शर्मा, राजीव शर्मा ने बैठक में भाग लिया, जबकि युवा सेवाएं एवं खेल सचिव एस.एस. गुलेरिया सभी विभागों के अध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने बैंटनी कैसल का दौरा किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैंटनी कैसल शिमला का दौरा किया और इस ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण में प्रगति की समीक्षा की। इस भवन का एडीबी परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जीर्णोद्धार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द से जल्द प्राधिकारियों को सौंपा जा सके।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव पर्यटन सुभाशीष पांडा, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की

पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है।

मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोर्टर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़िनी में उप-मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ परामर्श और पुनर्गठन प्रस्ताव के तादात्म्य में चरणबद्ध ढंग से विभिन्न पदों का सृजन और उन्हें भरा जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल टीहरा के डरवाड़ के अन्तर्गत नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल केलोधार के अन्तर्गत केलोधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पदों को अनुबन्ध आधार भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में अनुबन्ध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में लाहौल-स्पिति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 2500 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे। भू-स्खलन/बाढ़/हिमस्खलन के कारण भूमि को हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपये प्रति बीघा और कृषि व बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल के समक्ष प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने की तैयारियों के बारे में प्रस्तुति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदण्डों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायंस क्लब और हाऊसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के चमारला गांव का नाम बदलकर धाराबाग और जिला हमीरपुर के चमारकड़ का नाम धनेड़-1 और जिला शिमला के बन्दूर का नाम विक्तादी करने को मंजूरी दी।

हर महीने पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की करें मॉनीटरिंगःडॉ.निपुण जिंदल

शिमला/शैल। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में कांगड़ा जिला के समस्त विकास खंडों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला के सभी खंड

विकास अधिकारियों, डीआरडीए, पंचायती राज, योजना विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

उपायुक्त ने सभी विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिये की वे हर महीने पंचायतों में चल चल रहे विकास कार्यो की मॉनीटरिंग करें तथा लम्बित कार्यो को गति प्रदान कर निर्धारित अवधि में पूरा करवाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने कहा कि जिन विकास कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुए हैं उस धनराशि को अन्य कार्यो के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी तत्परता के साथ कार्य करें।

उपायुक्त ने मनरेगा कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास में मनरेगा का अहम योगदान है तथा मनरेगा के तहत चल रहे कार्यो का सुचारू मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए, कार्यो की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण), पंचवटी पार्को, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, मोक्ष धाम, पशुधन पुरस्कार योजना, गौ सदनों के निर्माण, सफलता की कहानियां, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटरों के निर्माण, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन में शिकायतों के निपटान, वॉटर शैड योजना, पंचायत घरों, सामुदायिक भवनों के निर्माण, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, बैंक सखी-उद्योग सखी, मॉडल स्कूल, हिम ईरा शॉप, कृषि सखी-पशु सखी, एक साल पांच काम, कैच दी रैन, तथा मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर पर समग्र मनरेगा पर विशेष फोक्स करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।

उपायुक्त ने पंचायतों में विकास कार्यो के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने 14वें और 15वें वित्तायोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि के बारे में जानकारी ली।

उपायुक्त ने बैठक में योजना विभाग व पंचायती राज विभाग से जुड़े विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी की और कार्यो को गति देने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिये।

इस अवसर एडीसी राहुल कुमार, परियोजना अधिकारी डीआरडीए सोनू गोयल, जिला योजना अधिकारी आलोक धवन, जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी शर्मा सहित सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित थे।

ऑनलाइन रोजगार मेलों के आयोजन पर विचार कर रही प्रदेश सरकारः बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेलों के आयोजन पर विचार कर रही है। यह बात उन्होंने उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों

के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रोजगार मेलों के आयोजन में बाधा आई है। इसी समस्या के समाधान के दृष्टिगत प्रदेश में ऑनलाइन रोजगार मेलों के आयोजन की रूपरेखा और आवश्यक डेटा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित डेटा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने व्यवसाय में सुगमता तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बहुआयामी प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उद्यमियों को राहत प्रदान करने तथा उद्योगों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान निरंतर बढ़ा है। उन्होंने कोरोना संकट काल के दौरान राज्य में स्वास्थ्य अधोसरंचना सुदृढ़ करने के लिए उद्योग जगत के प्रयासों की सराहना की।

बिक्रम सिंह ने उद्यमियों से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यावरण सरंक्षण आदि क्षेत्रों में अधिक से अधिक योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने उद्यमियों के सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वसन दिया।

इस अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए।

बैठक में निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, श्रम आयुक्त रोहित जमवाल, अतिरिक्त निदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

अवैध खनन के 250 करोड़ के बिलों का भुगतान जयराम सरकार के लिए बना चुनौती

- सबसे अधिक अवैध खनन शिमला मंडी और कांगड़ा में
- अवैधता के खिलाफ अपराधिक मामले बनाये जायें उच्च न्यायालय के निर्देश

शिमला/शैल। विधानसभा के पिछले सत्र में विधायक आशा कुमारी का प्रश्न था कि लोक निर्माण विभाग में उच्च न्यायालय के आदेश के कारण कई ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल भुगतान के लिये रुके हुए हैं। इसका पूरा विवरण और इनके भुगतान के लिये उठाये गये कदमों की जानकारी मांगी गयी थी। सरकार ने इसका जवाब देते हुए स्वीकार किया कि 197.98 करोड़ के बिल भुगतान के लिए रुके हुये हैं। इसमें शिमला जोन- 7252. 49 लाख, मण्डी 6493.37 लाख, कांगड़ा 5094 .4 लाख हमीरपुर 776. 58 लाख और नेशनल हाईवे 181.98 लाख का विवरण भी दिया गया है। यह जवाब धर्मशाला सत्र में दिया गया था। और अब यह रकम बढ़कर शायद ढाई सौ करोड़ हो गयी है। ठेकेदारों के ये बिल रेता, रोड़ी, बजरी और पत्थरों की आपूर्ति करने के हैं।

प्रदेश में अवैध खनन के आरोप एक लंबे अरसे से लगते आ रहे हैं। यहां तक कि प्रदेश में खनन एक माफिया की शक्ल ले चुका है। प्रदेश उच्च न्यायालय इस बारे में कड़ा संज्ञान ले चुका है। और यह निर्देश 2010 में ही दे चुका है कि इस आपूर्ति के वैद्य स्त्रोत सुनिश्चित किये जायें। जबकि सरकार इन खनिजों के एकत्रीकरण के लाइसेंस देकर और अपनी रॉयल्टी लेकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती थी। उच्च न्यायालय के 2010 के निर्देशों के बाद 2015 में इस संदर्भ में नियम बनाये गये। रोड़ी, बजरी और पत्थर ऐसे खनिज है जो सड़क, भवन, बिजली परियोजनायों आदि हर निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इसकी आपूर्ति या तो प्रदेश के बाहर से होती है या भीतर से ही स्थानीय स्तर पर। आपूर्ति का जो भी साधन रहे उसके लिये 2015 में बनाये नियमों की अनुपालन अनिवार्य है। नियम 33 और नियम 15 में पूरा ब्योरा दर्ज हो जाता है। लेकिन इन नियमों की अनुपालना में भी गड़बड़ होने लगी। नूरपुर के एक दलजीत पठानिया इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गये और उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। 16-7-20 को लगी इस रोक के खिलाफ विभाग पांच जनवरी 2021 को उच्च न्यायालय पहुंच गया और इसे हटाने का आग्रह कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस आग्रह को मानते हुये इस शर्त पर यह रोक हटा दी कि जिन बिलों के साथ फॉर्म W और X पर वांछित जानकारियां दी गयी हैं उनके भुगतान कर दिया जायें।

उच्च न्यायालय ने इस सामग्री की हर आपूर्ति की वैधता का पता लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग और उद्योग को एक जांच टीम बनाने के निर्देश दिये हैं। विभाग इसके लिए दो टीमें गठित कर रहा है जांच में क्या सामने आता है यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जो भी आपूर्ति की जाती है उसकी ट्रांजिट के फॉर्म W और फॉर्म X बिल के साथ लगे होना आवश्यक है। इन फॉर्मों के बिना हर आपूर्ति अवैध स्त्रोत और अवैध खनन के दायरे में आ जायेगी। 2010 से उच्च न्यायालय इसकी अनुपालना के निर्देश दे चुका है। अनुपालना न होने पर 16 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय कि जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ भुगतान पर रोक लगा चुकी है। लोक निर्माण विभाग इस रोक के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंच गया। उच्च न्यायालयों ने फार्मो की शर्त के साथ ही विभाग का आग्रह मान लिया लेकिन इसके बाद भी यह भुगतान नहीं हो पाया है क्योंकि बिलों के साथ फॉर्म नहीं है। फार्म नहीं होने का अर्थ है कि यह पूर्ति ही अवैध स्त्रोतों से है और परिणामत: अवैध खनन है। इस अवैधता के खिलाफ उच्च न्यायालय आपराधिक मामले बनाने के निर्देश दे चुका है। इस समय ऐसे सबसे ज्यादा मामले शिमला जोन में हैं दूसरे स्थान पर मण्डी और तीसरे पर कांगड़ा है। इसका अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा अवैध खनन इन क्षेत्रों में हो रहा है। ठेकेदारों के इन बिलों का भुगतान कैसे होता है इनके खिलाफ आपराधिक मामले बनाये जाते हैं या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यह जयराम सरकार के लिए एक कसौटी होगा।

वेब पोर्टल मीडिया कर्मियों ने भी सरकार की पॉलिसी पर उठाये सवाल

- चार साल से लगातार कोरे आश्वासन दिये जाने का लगाया आरोप
- विधानसभा तक में नहीं दिया जा रहा जवाब
- सरकारी संसाधनों को व्यक्तिगत संपत्ति मानकर किया जा रहा बंटवारा

शिमला/शैल। प्रदेश के वेब पोर्टल मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चौथी बार मीडिया पॉलिसी बनाने के लिये ज्ञापन सौंपा है। मण्डी में मीडिया सलाहकार पुरुषोत्तम गुलेरिया से मिलकर एन यूजे ने भी मीडिया कर्मियों से भेदभाव किये जाने के आरोप लगाये हैं। यह आरोप लगाया है कि पिछले 4 वर्षो में हर बार यह ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हर बार पॉलिसी बनाने के लिये आश्वासन दिये गये। अधिकारियों को निर्देश भी दिये गये। लेकिन हर बार परिणाम शुन्य ही रहा। इस आरोप के साथ ही एक कड़वा सच यह भी है की विधानसभा में भी हर बार यह सवाल पूछा जाता रहा है की सरकार ने किन अखबारों और अन्य प्रचार माध्यमों को कितने-कितने विज्ञापन दिये हैं। इन सवालों का हर बार एक ही जवाब आया है की सूचना एकत्रित की जा रही है। व्यवहार में यह रहा है कि जिस भी समाचार पत्र में सरकार की नीतियों पर उससे सवाल पूछने का साहस किया है उसके न केवल विज्ञापनों पर ही रोक लगाई गई है बल्कि उसके खिलाफ झूठे मामले तक खड़े किये गये हैं। जब भी इस बारे में निदेशक और सचिव लोक संपर्क से इसका कारण पूछा गया तो यह जवाब मिला कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोक संपर्क विभाग की यह वस्तुस्थिति है और इसके प्रभारी मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं।

इस व्यवहारिकता से यह सवाल उठता है कि जो सरकार चार वर्षो में मीडिया को भी कोरे आश्वासनों से टरकाती आ रही है उसकी आम आदमी के लिए घोषित योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या होगी। यह भी सबके सामने है कि कुछ गिने-चुने अखबारों को उनके गिने-चुने रिपोर्टरों के माध्यम से करोड़ों के विज्ञापन भी इसी सरकार ने दिये हैं और इन रिपोर्टरों को इससे करोड़ों का कमीशन भी मिला है। यह भी स्वाभाविक है कि यह सब संबद्ध अधिकारियों और राजनीतिक सत्ता के इशारे के बिना संभव नहीं हुआ है। इससे यही प्रमाणित होता है कि सरकार में मत भिन्नता के लिये कोई स्थान नहीं है और उसको दबाने के लिये सरकारी साधनों का खुलकर दुरुपयोग किया गया है। शायद इसीलिए विधानसभा में जानकारी आज तक नहीं रखी गयी है। चर्चा है कि इसमें बड़े स्तर पर बड़ा घपला हुआ है शायद इसी सब को दबाने के लिए विभाग को आउटसोर्स करने का भी प्रयास किया जाता रहा है। यह तय है कि देर सबेर यह एक बड़ी जांच का विषय बनेगा।

इस सब से हटकर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मुख्यमंत्री यह सब करने का साहस कैसे कर सकता है । सरकारी संसाधनों का एक तरफा बंटवारा कैसे कर सकता है। जबकि मीडिया के बड़े वर्ग पर गोदी मीडिया का टैग लगने से उसकी विश्वसनीयता शुन्य हो चुकी है। इसी का परिणाम है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उपचुनाव में चार शुन्य की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम सामने आयेगा यह तय है। क्योंकि जनता उन रिपोर्टों पर ज्यादा विश्वास करती है जिनमें प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। यह निश्चित है कि आने वाले दिनों में हर रोज ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का असर विधानसभा चुनाव से आगे निकलकर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा यह भी स्पष्ट है।

ऐसे में यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि क्या यह सब भाजपा संघ की नीति पर अमल करते हुए जयराम कर रहे हैं? या उन पर कुछ लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है की विधानसभा में भी मीडिया को लेकर आये सवाल का जवाब रखने को अहमियत नहीं दे रहे हैं। पार्टी भी सरकार के इस आचरण पर पूरी तरह ख़ामोशी बनाये हुये है। उससे और भी स्पष्ट हो जाता है की इनके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनुपालन से 'ऋण कृत्वा घृितम पीवेत' ज्यादा अहमियत रखता है।